



राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302 001

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ़य, राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा

Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, R.R.K.M. & E.I.,

रामावतार शर्मा
अध्यक्ष
9166616080

महावीर प्रसाद सिंहल
सभाध्यक्ष
9413135215

देवलाल गोचर
महामंत्री
9414403756

प्रहलाद शर्मा
प्रदेश संगठन मंत्री

31/67 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर

मो. : 9414056109

क्रमांक : 643

दिनांक : 04.09.2015

9414456109

चुनाव विज्ञप्ति

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की विधान की धारा 28 (क) के अन्तर्गत समस्त उपशाखाओं/जिला शाखाओं के सत्र 2015-2016 में होने वाले निर्वाचनों के लिए आवश्यक निर्देशों सहित चुनाव विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। इसमें संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार संयोजक, निर्वाचन समिति को होगा।

निर्वाचन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

1. सभी उपशाखाओं में 31 अगस्त 2015 तक की सदस्यता ही निर्वाचन हेतु मान्य होगी।
2. उपशाखाओं के चुनाव 30 नवम्बर 2015 तक एवं जिला शाखाओं के चुनाव 31 दिसम्बर 2015 तक सम्पन्न कराये जावेंगे।
3. प्रकाशित निर्वाचन तिथि एवं स्थान में परिवर्तन, संयोजक, निर्वाचन समिति की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि तक चुनाव नहीं हो सकने की स्थिति में स्थाई समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. उपशाखाओं के निर्वाचन उपशाखा मुख्यालयों तथा जिला निर्वाचन जिला मुख्यालय पर कराये जायेंगे।
5. सम्बन्धित उपशाखा के अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष 20 सितम्बर 2015 तक निर्धारित प्रारूप में सदस्यता सूची तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 5 प्रतियों में उपशाखांश, जिलांश व प्रान्तांश के ड्राफ्ट सहित भेजेंगे।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी दि. 23.09.2015 तक मतदाता सूचियां एवं तीनों ड्राफ्ट संभाग उपाध्यक्ष को देकर मतदाता सूचियों की पाचों प्रतियों पर संभाग उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर प्रदेश संगठन मंत्री के हस्ताक्षर की मुद्रा अंकित कर एक प्रति व प्रान्तांश का मूल ड्राफ्ट एवं उपशाखांश तथा जिलांश ड्राफ्ट की फोटो प्रति व सभी खाली भरी रसीद बुकें संभाग उपाध्यक्ष को जमा करायेंगे। मतदाता सूची की एक प्रति व जिलांश का ड्राफ्ट जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं तथा मतदाता सूची की एक प्रति उपशाखा ड्राफ्ट सहित उपशाखा निर्वाचन अधिकारी को देंगे, जिसके आधार पर चुनाव कराये जायेंगे। मतदाता सूची की एक प्रति जिलामंत्री को व मतदाता सूची की एक प्रति उपशाखामंत्री को तथा मतदाता सूची की एक प्रति प्रदेश संगठन मंत्री को भेजेंगे।
7. संभाग उपाध्यक्ष उपशाखांश एवं जिलांश ड्राफ्ट की फोटो प्रति एवं प्रान्तांश का ड्राफ्ट एवं सभी खाली भरी रसीद बुकें प्रदेश कोषाध्यक्ष को जमा करायेंगे।
8. मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 23.09.2015 को किया जावेगा। मतदाता सूची में आपत्ति संयोजक चुनाव समिति/प्रदेश संगठन मंत्री के पास की जा सकेगी। अन्तिम मतदाता सूची निर्वाचन तिथि को प्रकाशित कर दी जायेगी। मतदाता सूची प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर/प्रदेश संयोजक चुनाव समिति एवं प्रदेश संगठन मंत्री सहित जिलाध्यक्ष/जिलामंत्री/उपशाखाध्यक्ष/उपशाखामंत्री एवं उपशाखा कोषाध्यक्ष के पास देखी जा सकेगी और 2 रु. प्रति पेज शुल्क देकर प्रति प्राप्त की जा सकती है। चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।

9. सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की सम्पूर्ण उपशाखाओं के निर्वाचन कराकर सभी उपशाखाओं की मतदाता सूचियाँ एवं निर्वाचन परिणाम की एक-एक प्रति जिला निर्वाचन के उपरान्त नव निर्वाचित जिला मंत्री को सम्भलायेंगे।
10. उपशाखाओं/जिला शाखाओं के निर्वाचन की विज्ञप्ति सम्बन्धित उपशाखा/जिला शाखा के अध्यक्ष/मंत्री से विचार-विमर्श कर निर्वाचन तिथि से सात दिन पूर्व समाचार पत्रों/शिक्षक सन्देश में प्रकाशित करायेंगे तथा एक-एक प्रति प्रदेश कार्यालय, संबन्धित संभाग उपाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष तथा संयोजक, निर्वाचन समिति को भजेंगे।
11. निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक सम्बन्धित शाखा में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
12. उपशाखाओं के निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्बन्धित उपशाखा के ड्राफ्ट, चैकबुक, पासबुक, बाउचर फाईल, एफ.डी. व अन्य सभी पत्रावलियाँ प्राप्त कर निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त नव निर्वाचित सम्बन्धित पदाधिकारी को सम्भलवाकर रसीद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी भी जिला निर्वाचन के पश्चात जिले से सम्बन्धित जिलांश के ड्राफ्ट, चैकबुक, कैंशबुक, एफ. डी. व अन्य सभी पत्रावलियाँ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्भलवाकर रसीद प्राप्त करेंगे।
13. सभी पदों के लिए पृथक-पृथक नामांकन पत्र भरा जावेगा। नामांकन पत्र 5/- प्रति प्रपत्र जमा करवाकर निर्वाचन के दिन निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेंगे।
14. उपशाखा निर्वाचन में प्राप्त नामांकन प्रपत्र शुल्क की राशि जिला शाखा में तथा जिला निर्वाचन में प्राप्त राशि प्रदेश कोष में जमा करानी होगी। उपशाखाओं के निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक का यात्रा व्यय जिला शाखा से तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक का यात्रा व्यय प्रदेश कोष से देय होगा।
15. उपशाखा अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, जिला महासमिति, प्रदेश महासमिति के प्रत्याशियों एवं गत सत्र के निर्वाचित जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को शिक्षक संदेश का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
16. शिक्षक संदेश की राशि का ड्राफ्ट "शिक्षक संदेश प्रकाशन ट्रस्ट, जयपुर" के नाम से बनाकर निर्वाचन सम्पन्न होने के तीन दिन बाद आवश्यक रूप से सदस्यों के घर के पत्तों की सूची के साथ प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर भेज दे। इसकी एक प्रति जिला संगठन मंत्री को भी भेजें। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन रिकॉर्ड जमा कराते समय शिक्षक संदेश की राशि/ड्राफ्ट साथ में देंगे तभी निर्वाचन वैध माना जावेगा।
17. उपशाखा के निम्न पदों के चुनाव कराये जायेंगे - सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष- दो पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पुरुष, उपाध्यक्ष महिला, मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य - प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रथम वेतन श्रृंखला, द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला, पंचायत समिति शिक्षक, संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षक, महिला शिक्षा, प्रबोधक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्था एवं सेवानिवृत्त शिक्षक सदस्य।
18. उपशाखा निर्वाचन के समय उपशाखा की कुल सदस्यता के चार प्रतिशत के अनुसार जिला महासमिति सदस्य एवं कुल सदस्यता के एक प्रतिशत के अनुसार प्रदेश महासमिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
19. जिला शाखा में निम्न पदों के चुनाव कराये जायेंगे - सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष -दो पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पाँच (पुरुष, महिला, माध्यमिक, प्राथमिक एवं संस्कृत विभाग एक-एक), मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य - प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रथम वेतन श्रृंखला, द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला, पंचायत समिति शिक्षक, संस्कृत शिक्षा, सेवानिवृत्त, शारीरिक शिक्षक, महिला शिक्षा, प्रबोधक, महाविद्यालय, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्था सदस्य।
20. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के विधान अनुसार उपशाखा/जिलाशाखा एवं प्रदेश की कार्यकारिणी के निर्वाचित किसी भी पद पर लगातार 5 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो सकेगा। अतः 5 वर्ष तक लगातार एक ही पद पर रहे प्रत्याशी का नामांकन पत्र उस पद के लिये स्वतः ही निरस्त योग्य होगा।



21. वर्तमान उपशाखा एवं जिलाशाखा के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष या अन्य के पास किसी प्रकार का चार्ज यथा कैशबुक,चैकबुक,पासबुक,वाउचर फाईल,एफ.डी.आर. है तो उसे निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र भरने से पूर्व जमा कराना होगा अन्यथा बकाया की पुष्टि होने पर नामांकन निरस्त किया जा सकेगा।
22. प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र स्वयं उपस्थित होकर निर्वाचन अधिकारी को जमा करवायेगा तथा चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा।
23. उपशाखा एवं जिले को आवंटित की गयी रसीद बुकों के आधार पर ही उस उपशाखा एवं जिले की सदस्यता मानी जायेगी यथा-उपशाखा से उपशाखा एवं जिले से जिले में स्वयं के आधार पर आदान-प्रदान की गयी रसीद बुकों की सदस्यता किसी भी उपशाखा में नहीं जोड़ी जायेगी।
24. निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशी को गत तीन सत्रों का राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का लगातार सदस्य होना अनिवार्य होगा।
25. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यस्थल व घर के पते तथा दूरभाष नं. सहित संयोजक प्रदेश निर्वाचन समिति, सम्पादक शिक्षक संदेश, महामंत्री कार्यालय एवं सम्बंधित प्रदेश उपाध्यक्ष को निर्वाचन के पश्चात् तीन दिन में आवश्यक रूप से भेजेंगे।
26. यदि किसी सदस्य के पास शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की किसी प्रकार की राशि, खाली भरी रसीद बुके एवं अन्य बकाया होना प्रमाणित होता है तो वह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। निर्वाचन पश्चात भी प्रमाणित होने पर निर्वाचन निरस्त किया जा सकेगा।
27. निर्वाचन संबंधी किसी भी वाद की अपील प्रभावित व्यक्ति ही अपने नाम से व्यक्तिगत रूप से निर्धारित प्रारूप में संयोजक न्यायाधिकरण को चुनाव तिथि से पन्द्रह दिवस में करनी होगी। 201/- (दो सौ एक रुपये) का बैंक ड्राफ्ट "राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)" के नाम अपील के साथ संलग्न कर संयोजक न्यायाधिकरण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाते हुए प्रति न्यायाधिकरण सदस्यों, महामंत्री तथा संयोजक निर्वाचन समिति को भेजना अनिवार्य है। सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त अपील मान्य नहीं होगी। अपील का निर्धारित प्रारूप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा

अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन प्रातः 8.00 बजे
नामांकन प्रस्तुत करना	: चुनाव तिथि के दिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 तक
प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 12.30 बजे तक
नाम वापस लेना	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 1.30 बजे
प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 2.00 बजे तक
मतदान यदि आवश्यक हुआ	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक
मतगणना व चुनाव परिणाम	: मतदान के तुरन्त बाद

विशेष :- चुनाव अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर सकेंगे।

दिनांक : 04.09.2015



(प्रहलाद शर्मा)

संयोजक


प्रदेश चुनाव समिति

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

सत्र 2015-2016 के लिए निर्वाचन अधिकारी

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन अधिकारी का नाम	पता	दूरभाष
1	जयपुर प्रथम	श्री शिव शंकर शर्मा	3/2 एफ, विनायक - 5, नंदगोव कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, निवरु रोड, जयपुर	9829161998
2	जयपुर द्वितीय	श्री श्रीनिवास शर्मा	बी-14, प्रेम कॉलोनी, सूर्य नगर, तारों की कूट के पास, टोंक रोड, जयपुर	9414069235
3	अलवर	श्री राघेश्याम शर्मा	रघुकुंज, शिक्षक कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड, दौसा (राज)	9414034751
4	दौसा	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	249-ए, पदमावती कॉलोनी-प्रथम, III rd Lane,, किंग्स रोड, जयपुर	93145-04542
5	भरतपुर	श्री अजय शर्मा	99, इन्द्रा कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर	9414388629
6	धौलपुर	श्री महेश चन्द शर्मा	216, राजेन्द्र नगर, भरतपुर (राज.)	941311535
7	करौली	श्री जगदीश प्रसाद चौधरी	ग्रा.पो. जधीना, भरतपुर - 321021	9413309884
8	सवाई माधोपुर	श्री रमाशंकर शर्मा	प्रताप नगर पालिका के पास, धौलपुर (राज.)	9414583749
9	अजमेर	श्री बल्लभ पुरोहित	गायत्री मन्दिर वाली गली, बाबा रामदेव पार्क के पास, नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर	9667201274
10	भीलवाड़ा	श्री घनश्याम नागौरिया	शास्त्री नगर, अजमेर रोड, केकड़ी, जि.अजमेर	9414933236
11	ब्यावर	श्री प्रकाश माणमियां	79, नई नगरी, माण्डल, भीलवाड़ा	9783312600
12	नागौर	श्री सुरेश व्यास	शान्ता निकेतन, रतानी व्यासों का चौक, बीकानेर	9667131770
13	डीडवाना	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	शास्त्री नगर, जयपुर रोड, मालपुरा (टोंक)	9667137919
14	टोंक	श्री हनुमान सिंह	31, बसन्त कॉलोनी, सदरपुरा रोड, बृजलाल नगर, मालपुरा, टोंक-304502	9414869162
15	कोटा	श्री गजेन्द्र मालवीय	सुसावन रामद्वारे के पास, शाहबाद रोड, बारां	94146-31286
16	बून्दी	श्री ओमप्रकाश भीणा	ग्रा.केशोपुरा पो.रजोपा, तहसील पिपल्दा जि.कोटा	9414520804
17	बारां	श्री ओमप्रकाश शर्मा	6 ए 22, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा	94608-52780
18	झालावाड़	श्री देवकीनन्दन सुमन	56, रंग विहार, महावीर नगर-III, कोटा	9413943436
19	जोधपुर	श्री घनश्याम गौड़	पावटा के पास, निमाज, जि.पाली	9887512799
20	फलोदी	श्री शैतान सिंह	ग्रा.पो.पूनम नगर, जि.जैसलमेर	9828883561
21	जैसलमेर	श्री मोहन सिंह भाटी	358, मोहन नगर, बी.जे.एस.कॉलोनी, जोधपुर	9829134864
22	बालोतरा	श्री चन्दन सिंह	रा.उ.मा.वि.पोकरण, जि.जैसलमेर	9414560764
23	बाड़मेर	श्री नरेश सोलंकी	प्लॉट नं. 637, दिनीप नगर, लाल सागर, पोस्ट-मगरा पूंजला, जि.जोधपुर-342004	9414124687
24	पाली	श्री छगन लाल माली	कालिका मंदिर के पास, भाटकड़ा, सिरोही	9928071641
25	सिरोही	श्री गोपाल सिंह	ग्रा.पो. भँवरानी, वाया-बिशनगढ़, तह.आहोर, जि.जालोर	9460717289
26	जालौर	श्री बलवन्त सिंह राजपुरोहित	88, शक्ति नगर, रेल्वे स्टेशन के पास, पाली	94148-16458
27	चुरू	श्री नवीन कुमार शर्मा	मु. पो. कालाडेरा वाया चौमूँ, जयपुर-303801	9414362198
28	सीकर	श्री जयप्रकाश पूनियां	चांदनी चौक, कालेरा बास, चुरू	9413743955
29	झुंझू	श्री विजय कुमार बुरडक	बीआईआईटी, चन्द्रपुरा, पो.बजाजग्राम, सीकर-332021	9414664719
30	बीकानेर	श्री अशोक कुमार शर्मा	बी-66, अग्रसेन नगर, झोटवाड़ा, जयपुर	94147-96455
31	श्रीगंगानगर	श्री ओमप्रकाश विश्नोई	ग्रा.पो.रोड़ा, वाया-नोखा, जि.बीकानेर	94140-44939
32	हनुमानगढ़	श्री जयसिंह शेखावत	357, महिला पार्क के पास, ताराचन्द वाटिका, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर	9772240027
33	उदयपुर	श्री देवकीनन्दन सुमन	56, रंग विहार, महावीर नगर-III, कोटा	9413943436
34	बांसवाड़ा	श्री रोशन लाल तोतला	एफ-41, तोतला सदन, आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा	9251428182
35	डूंगरपुर	श्री गमीर चन्द पाटीदार	53, मोहन कॉलोनी, गली नं.1, बांसवाड़ा	9414407986
36	चित्तौड़गढ़	श्री चन्द्रशेखर परसाई	ई-116, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 14, उदयपुर	9414763937
37	प्रतापगढ़	श्री हीरा लाल लौहार	मु.पो.बिनोता, तह.निम्बोडा, जि.चित्तौड़गढ़	9828617688
38	राजसमन्द	श्री खुशपाल शाह	रा. उ. प्रा. वि. डडूका, जिला-बांसवाड़ा	9672285244

नोट : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक दिनांक 13.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर में रखी गयी है। कृपया सभी अनिवार्य रूप से पधारने का श्रम करें।



(प्रहलाद शर्मा)

संयोजक

प्रदेश चुनाव समिति